. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज विश्वेश्वर नाडोला बनाम लो.सू.अ. (जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 79 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विश्वेश्वर नाडोला, पता माली थलियों का बास, होटल सिटी पेलसे के पीछे, नई सड़क जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 2.04.18 में उसके द्वारा (1) राजस्थान सम्पर्क प्रकरण सं. 12170562827740 में दिये गये प्रत्यत्तर में मदरसा व स्कूल भवन के अन्दर अस्पताल चलाने की अनुमति स्वास्थ्य विभाग द्वारा देना बताया है परन्तु अनुमति की प्रति अपलोड नहीं की गई इस सम्बन्ध में मदरसा किसेंट के अंदर अस्पताल संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई अनुमति पत्र की प्रति दिलवाये व अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला अल्प संख्यक अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीपक्ष ने अपील के साथ उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.05. 2018 की प्रति संलग्न की गई जबकि अपील में प्रार्थना–पत्र दिनांक 2.04. 2018 के द्वारा सूचना चाही जानी बताई गई। रेस्पो.पक्ष (जिला अल्प संख्यक अधिकारी जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1471 दिनांक 25.06.18 रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिससे बतलाया गया कि श्री नाडोला द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण संबंधित संस्था मारवाड़ मुस्लिम जजुकेशनल सोसायटी जोधपुर को पत्रांक अ.मा.वि. / जोध / 2017 / 1403–04 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। रिपोर्ट में आगे बतलाया कि सचिव जनरल सैकेट्र मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी के पत्रांक 780 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा जानकारी दी गई कि संस्था सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है तथा स्थानीय कार्यालय द्वारा श्री नाडोला को पत्रां / अमावि / जोध / 2018 / 1435 दिनांक 04.05.2018 को उक्त पत्र की प्रति उपलब्ध करवा दी गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्प संख्यक अधिकारी जोधपुर) की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सचिव जनरल सैकेट्र मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी से संबंधित होने एवं उनके द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के कारण प्रार्थी को समय पर सूचित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner